Original Article

ISSN: 2349 - 4891

International
Journal of Recent Research and Applied Studies
(Multidisciplinary Open Access Refereed e-Journal)

IJRRAS

ग्वालियर जिले की महिलाओंके मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य मेंएक सामाजिक–आर्थिक अध्ययन

शोधार्थी, प्रीति साहू

श्री सत्य सॉई प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय सीहोर म.प्र

शोध निर्देशक, डॉ रिशिकेश यादव

श्री सत्य सॉई प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय सीहोर म.प

Abstract

महिलाओं के सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं, तो भारत में महिलाओं की समस्या, अन्य देशों की तुलना में अलग है। भारत में महिलाओं के दो अलग स्तर है, ग्रामीण और शहरी महिला। यहां उनके साथ परिवार और समाज की समस्याएं हैं। शहरी और ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की मुख्यतः चार प्रमुख समस्याएं हैं– शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार। स्वाधीनता के बाद इन चारों समस्याओं की ओरध्यान दिया गया है, जिससे उसके परिणाम भी निकल कर आए हैं, उनमें शिक्षा का स्तर बढ़ा है, स्वास्थ्य का स्तर भी ठीक हुआ है उनकी सुरक्षा की भी चिंताएं बढ़ी हैं और उन्हें रोजगार भी मिले हैं।

Keywords: *महिला शिक्षा समाज आंदोलन*

1वर्तमान परिदृश्य

निःसन्देह भारत सरकार ने समय के साथ–साथ अनेकानेक कानूनों का निर्माण शोषित समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिये किया, परन्तु कानूनों का सही प्रवर्तन न होने के कारण शोषित समुदाय व महिलाओं की स्थिति आज भी दयनीय स्थिति बनी हुई है। बिना सामाजिक सहयोग के कानून प्रायः असहाय हो जाते हैं। दर असल महिला (स्त्री) को लेकर जितनी भी व्यवस्थाए ं बनी, उनमें उसे प्रायः दोयम दर्जे का स्थान ही दिया गया है। मानव सभ्यता के इतिहास में महिला अस्मिता, उसके समान अधिकार और स्वत ंत्रता का प्रश्न सदा से ही उलझनपूर्ण रहा है। इसके लिये हमारी सामाजिक व्यवस्था और पुरुष प्रधान समाज की सोच प ूर्णतया उत्तरदायी है।

2महिलाओं से सम्बंधित सामाजिक कुरीतियाँ

तत्कालीन भारतीय समाज में महिलाओं से सम्बंधित अनेक सामाजिक कुरीतियाँ विद्यमान थीं जैसे बाल–विवाह शिशु–हत्या सती–प्रथा विधवाओं की दयनीय दशा तथा निम्न–स्तरीय नारी शिक्षा आदि आरम्भ में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कुछ बुराइयों को समाप्त करने के लिए कुछ कदम उठाये उदाहरण के लिए 1793 एवं

Original Article
ISSN: 2349 - 4891
International
Journal of Recent Research and Applied Studies
(Multidisciplinary Open Access Refereed e-Journal)

1804 ई के बंगाल रेगुलेशन एक्ट द्वारा शिशु–हत्या पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई पर ये सभी कदम और प्रयास बेकार चले गये और महिलाओं से सम्बंधित कुरीतियाँ समाज में जस की तस बनी रहीं. महिलाओं की दशा में सुधार लाने के लिए सबसे पहले संगठित प्रयास राजा राम मोहन राय ने किया. उन्होंने वैचारिक आन्दोलन चलाये जाने के साथ–साथ व्यावहारिक स्तर पर भी कई प्रयास किये उन्होंने बहुविवाह, कुलीनवाद तथा सती–प्रथा आदि का विरोध करने के अतिरिक्त स्त्रियों को सम्पत्ति में उत्तराधिकारी बनाने की भी वकालत की उनके लगातार प्रयास का ही यह परिणाम था कि लॉर्ड बैंटिक ने 4 दिसम्बर 1829 ई को अधिनियम –17 पारित कर सती–प्रथा को गैर–कानूनी घोषित कर दिया समकालीन समाज सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा–विवाह को सामाजिक एवं कानूनी मान्यता दिलाये जाने के लिए आजीवन प्रयास किये उनके प्रयासों का ही प्रतिफल था कि 1856 ई में हिन्दूविधवा–पुनर्विवाह कानून के रूप में देखी जा सकती है इसकी व्याख्या दो आधारों पर की जा सकती है एक सती–प्रथा के उन्मूलन के साथ समाज सुधार के लिए सरकारी विधि–निर्माण माहौल तैयार हुआ और दूसरा सती–प्रथा के वास्तविक उन्मूलन के लिए विधवाओं की दशाओं में सुधार होता दिखाई देने लगा ।नारी शिक्षा के विकास हेतु कई कदम इसी काल में उठाये गये इसमें ईसाई मिशनरियों की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही. कलकत्ता में स्त्री–शिक्षा के विस्तार हेतु तरुण स्त्री सभा का गठन हुआ. बम्बई में एलफिन्सटन कॉलेज के छात्रों ने भी नारी शिक्षा के विकास के लिए कई कदम उठाये इन्हीं दिनों बेथुन स्कूल की स्थापना हुई जिसके निरीक्षक ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने लगभग 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना की बाल–विवाह के उन्मूलन के लिए भी सुधारकों द्वारा अनेक प्रयास किये गये तथा उनके प्रयासों के फलस्वरूप सरकार ने समय–समय पर बाल–विवाह उन्मूलन के लिए कानून बनाए. उदाहरण के लिए बीएन मालाबारी के प्रयास से 1891 ई में एज ऑफ कंसेट बिल पारित हुआ इस कानून के आधार पर 12 वर्ष या उससे कम आयु की बालिकाओं का विवाह निषिद्ध कर दिया गया सन् 1872 ई में ब्रह्म मैरज एक्ट पारित हुआ जिसके प्रावधानों के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं का विवाह कानून–विरुद्ध घोषित कर दिया गया तदोपरान्त महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु एक प्रमुख कानून था 1930 ई का शारदा एक्ट इस कानून द्वारा विवाह–योग्य पुरुषों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा महिलाओं की 14 वर्ष निर्धारित कर दी गई।

Original Article
ISSN: 2349 - 4891
International
Journal of Recent Research and Applied Studies
(Multidisciplinary Open Access Refereed e-Journal)

Figure 1चिपकोआंदोलन

आजादी के बाद देश में जो समाजिक, आर्थिक व राजनीतिक बदलाव हुए उस बदलाव में स्त्रियों की साझेदारी रही है। साझेदारी से ज्यादा उसने घर और बाहर के मोर्चे पर दोहरी लड़ाई लड़ी। पर ये लड़ाईयां इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हुई, जो कुछ नाम दर्ज हैं वे इसलिए कि इन नामों के बिना इतिहास लिखा नहीं जा सकता था वर्जीनिया वुल्फ ने एक जगह लिखा है 'इतिहास में जो कुछ अनाम है वह औरतों के नाम है।' इतिहास में औरतों की भूमिका हमेशा से अदृश्य रही है। उसकी एक वजह है कि हम इतिहास चेतन नहीं रहे।

इतिहासकारों ने प्रतीकों, लोक गाथाओं, गीतों व अन्य स्त्रोतों को कभी समेटने की कोशिश नहीं की। हम जानते हैं कि व्यवस्थित रुप से इतिहास रचने की मंजिल पर पहुंचने से पहले ऐसे सभी समुदाय पहले चरण में आत्मगत ब्योरों का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी बुनियाद पर इतिहास लिखने की इमारत खड़ी की जा सके। आशा रानी वोरा ने जब महिलाएं और स्वराज किताब लिखना शुरु किया तो उन्हें तथ्य जुटाने में बारह साल लगे। उन्होंने एक जगह लिखा है कि आजादी आंदोलन में स्त्रियों की भूमिका पर लिखने के लिए जब सामग्री जुटाने लगी तो गहरी निराशा हुई।

Figure 2 **समानताकेलिएमहिलाओंकासंघर्ष**

माना जाता है कि उन्नीसवीं सदी के अंत और बीसवीं सदी की शुरुआत में अनेक महिला आंदोलन हुए। पर उन आंदोलनों का कोई इतिहास नहीं मिलता। यही वह क्षण है, जब स्त्री आंदोलन व देश में हुए आंदोलन का पुर्नमूल्याकंन जरुरी है ताकि मुक्ति की सामाजिक परंपरा में एक नया अध्याय जोड़ा जा सके। जब देश में आजादी के आंदोलन की लहर थी तो बिहार भी उस आग में लहक रहा था। औपनिवेशिक काल में बिहार में बंगालियों,कायस्थों और मुसलमानों का अभिजात तबका काबिज था,

Original Article
ISSN: 2349 - 4891
International
Journal of Recent Research and Applied Studies
(Multidisciplinary Open Access Refereed e-Journal)
IJRRAS

जमींदारी मुख्यतः भूमिहारों, राजपूतों, ब्रह्मणों, मुसलमसनों और कायस्थों के हाथ में थी।

साल 1920 के असहयोग आंदोलन 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में राजपूत और भूमिहार जाति ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। और यह समुदाय राजनीति में अपना प्रभाव बनाने लगा। उसी दौर में महिलाएं वोट देने के अधिकार को लेकर आंदोलन कर रही थीं। यह त्रासदी है कि जिस आंदोलन की शुरुआत महिलाओं ने बींसवीं सदी के आरंभ में की थी, आज उसी तरह का आंदोलन राजनीति में 33 प्रतिशत हिस्सेदारी को लेकर है। आजाद मुल्क में भी महिलाओं को उसके हिस्से का हक लेने के लिए लड़ना पड़ रहा है।अतीत में हुए संघर्ष को देखते हुए हम ये कह सकते हैं स्त्री के भीतर आजादी की आग है। और उसकी पहली लड़ाई है वर्चस्व विहीन समाज की स्थापना। यही वजह है कि आज स्त्रियाँ परिवार में श्रम के विभाजन,पारवरिक संबंधों में उसकी उपस्थिति और सत्ता में उसकी जगह को लेकर आंदोलित हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्त्रियों का आंदोलन एकालाप में नहीं चलता। समाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आंदोलन में स्त्रियों की भूमिका का भले ही आंकलन नहीं हुआ हो सच तो यह है कि सभी आंदोलनों में उसकी भागीदारी रही है। देश में 70 के दशक में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन हुआ। जिस आंदोलन ने सत्ता की नींव हिला दी। उसमें बड़ी संख्या में स्त्रियों ने हिस्सा लिया। कॉलेज स्कूलों से निकलकर निरंकुश सत्ता के खिलाफ वे सड़कों पर थीं। स्त्री जब भी किसी आंदोलन का हिस्सा होती हैं, तो वह एक साथ कई वर्जनाओं को तोड़ती है।

3स्त्री आंदोलन

स्त्री आंदोलन को महत्वपूर्ण आयाम देने वाली सिमोन द बोवुआर कहतीं हैं मात्र वर्ग संघर्ष के द्वारा ही स्त्री–मुक्ति के महान लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता है३चाहे साम्यवादी हों, माओवादी हों या ट्रस्टवादी औरत हर जगह हर खेमें में अधीनस्थ की स्थिति में है,सबसे निचले पायदान पर खड़ी है। जब देश में 74 का आंदोलन हो रहा था उसी दौर में देश के कई हिस्सों में स्त्री हिंसा के वीभत्स मामले सामने आ रहे थे। यह वहीं दौर था जब रुप कंवर को सती के नाम पर जबरन जला दिया गया। इस अमानवीय घटना के विरुद्ध महिलाओं ने जबरदस्त आंदोलन किए। 92 आते –आते देश को हिला देने वाली घटना हुई– भवंरी बाई के ऊपर बलात्कार की घटना।राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और महर्षि कर्वे ने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए प्रार्थना की। गांधीजी ने महिलाओं की सामूहिक रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ–साथ उनके सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने में रुचि ली।प्रस्तुत शोध अध्ययन में

Original Article
ISSN: 2349 - 4891
International
Journal of Recent Research and Applied Studies
(Multidisciplinary Open Access Refereed e-Journal)

क्षेत्र में पहले से किये गये सामाजिक संबंध, सामाजिक अन्तःक्रियाएं, सामाजिक समूह, सामाजिक समस्याएंसम्बन्धित साहित्य सर्वेक्षणकिया गया है।

4सम्बन्धित साहित्य सर्वेक्षण

आर.एल.एकॉफ 2018 ने लिखा है कि अनुसंधान प्ररचना आने वाली परिस्थितियों में जो निर्णय लागू किए जाते हैं उनको परिस्थितियों के आने से पहले ही सोच समझकर निष्चित कर लेना योजना बनाना है। यह एक सचेत प्रक्रिया है।

शाह व अन्य (2006)16 ने भारत के 11 राज्यों के 565 ग्रामों में 'ग्रामीण भारत में अस्पृश्यता' विषय पर किये गये अध्ययन में जो निष्कर्ष प्राप्त किये उनसे स्पष्ट है कि परम्परागत जाति व्यवस्था के अन्तर्गत दलितों पर लादी गयी निर्योग्यताए ं जो नगरीय क्षेत्रों में क्षीण हो रही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अपने कट्टर रूप में विद्यमान हैं। अध्ययन में पाया गया कि आधे से अधिक गाँवों में आज भी दलित घरों में प्रवेश नहीं किया जाता, साथ में भोजन नहीं किया जाता, पूजा स्थलों में प्रवेश निषेध है तथा दलित महिलाओं के साथ सवर्णों द्वारा अपमानित व्यवहार किया जाता है। इसी प्रकार लगभग आधे ग्रामों में दलितों के लिए सार्वजनिक कुओं–तालाबों का प्रयोग निषिद्ध है, दलित सहकारी समितियों में द ूध नही द ेे सकते, तथा नाई–धोबी की सेवा नहीं ले सकते। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, लेकिन वास्तविकता में यह कार्यरूप मे ंपरिणित नहीं हो पाया है, दलित महिलायें जब पानी भरने, लकड़ी लेने या शौच के लिये जाती है, तो उन्हें रास्ते में रोककर अपमानित किया जाता है।

(डॉ) वियोगी कुसुम (2001)– कुसुम वियोगी ने दलित महिला कथाकारो की कहानियो में, श्रम से जुड़ी यौन समस्या, षिक्षा, जातिगत विसंगतियों परम्परागत पढ़ी–लिखी दलित महिलाएँ तो बहुत है परन्तु कैसी विडम्बना है कि सम्पर्क एवं सूत्रो के माध्यम से मात्र सात–आठ महिला कथाकार ही हिन्दी क्षेत्र के दलित समाज से उपलब्ध हो पाई और इसीलिए डॉ. अम्बेडकर ने नारी को संवैधानिक, सामाजिक, समता एवं स्वत ंत्रता का अधिकार दिया जिससे वे साश्क्त होकर सशक्त समाज व राष्ट्र का निर्माण कर सके।

मेनन रितु (2005)– मेनन ने स्पष्ट किया है कि कम से कम डेढ. सौ वर्षो में भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में महिलाओं की उपस्थिति दर्ज की जा रही है, भले ही उनकी उपस्थिति यदा–कदा प्रखर हुई, छिट–पुट उदाहरण हमारे सामने आए और उन्हें अपर्याप्त मान्यता ही मिली। पूछे जाने पर अधिकांश लोग स्वाधिनता आन्दोलन में महिलाओं की भागीदारी को याद करने लगेंगे। जैसे ब्रिटिशप्रशासन के विरूद्ध गॉधीजी के आन्दोलनों नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा और असहयोग आन्दोलनो में हजारो की संख्या में

Original Article
ISSN: 2349 - 4891
International
Journal of Recent Research and Applied Studies
(Multidisciplinary Open Access Refereed e-Journal)

महिलाओं का सड़को पर उतरना पड़ा, और राष्ट्र की उन्नति में सहभागी बनना पड़ा।

प्रोकपूर प्रोमिला (2012)– आजादी के परंतु बाद से ही भारत सरकार ने बालिका शिक्षा की दिशा में गम्भीर प्रसास शुरू कर दिए थे ।

1.5 सामाजिक–आर्थिक स्तर

वर्तमान अध्ययन सामाजिक–आर्थिक स्तर का अध्ययन हैआधुनिकीकरण की प्रक्रिया पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि महिला शिक्षिकाओं के व्यक्तित्व, शैक्षणिक पारिवारिक और आर्थिक जीवन के सम्बन्ध में पर्याप्त रूप से जानकारी न प्राप्त हो जाये। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदाताओं की आयु , शिक्षा, जाति व्यवस्था, आय इत्यादि से सम्बन्धित तथ्यों का विश्लेषण किया गया है।

सारणी 1सामाजिक–आर्थिक स्तर

स.क.	सामाजिक–आर्थिक स्तर	संख्या	प्रतिशत
1	उच्च–मध्यम वर्ग	99	39.6
2	मध्यम–मध्यम वर्ग	105	42.0
3	निम्न–मध्यम वग	46	18.4
	योग	250	100

वर्तमान अध्ययन की शिक्षिकाओं के सामाजिक–आर्थिक स्तर का अध्ययन करने पर विदित होता है कि 39.60 प्रतिशत सूचनादाता उच्च–मध्यम स्तर तथा 42 प्रतिशत सूचनादाता मध्यम स्तर से सम्बन्धित है तथा 30 प्रतिशत सूचनादाता निम्न स्तर से सम्बन्धित है।आर्थिक परिस्थितिया ं जिनम ें की सूचनादाताय ें पढ़ी–लिखी : उत्तरदाताओं की पृष्ठभूमि का एक महत्वपूर्ण परिवर्त्य आर्थिक परिस्थितियां है जिनमें कि शिक्षिकायें पढ़ी–लिखी है। आधुनिक जीवन में आर्थिक परिस्थितियां पारिवारिक संगठन को प्रभावित करने वाली एक महत्वपूर्ण तथ्य बन गयी है तथा इन परिस्थितियों का अध्ययन करते हुए सूचनायें संकलित की गई। आर्थिक स्थिति के आधार पर तथ्यों का वितरण यह स्पष्ट करता है कि उच्च–मध्यम वर्ग की 23.60 प्रतिशत शिक्षिकाएं सामान्य परिस्थितियों में पढ़ी–लिखी जबकि 10 प्रतिशत शिक्षिकाएं सुदृढ. परिस्थितियों से सम्बन्धित रही तथा 6.00 प्रतिशत शिक्षिकाए ं बदलती परिस्थितियों में पढ़ी–लिखी तथा मध्यम–मध्यम स्तर की 24.40 प्रतिशत शिक्षिकाए ं सामान्य परिस्थितियो ं से सम्बन्धित रही तथा 2. 40 प्रतिशत शिक्षिकाएं कठिनाइयों मे ं पढ़ी–लिखी जबकि 8.0 प्रतिशत शिक्षिकाएं बदलती परिस्थितियों में पढ़ी– लिखी। इसी प्रकार निम्न–मध्यम वर्ग की 5.60 प्रतिशत शिक्षिकाएं

ISSN: 2349 - 4891
International
Journal of Recent Research and Applied Studies
(Multidisciplinary Open Access Refereed e-Journal)

सामान्य परिस्थितियों में पढ़ी–लिखी तथा 7.60 प्रतिशत सुदृढ. परिस्थितियों म` पढ़ी–लिखी और 4.00 प्रतिशत शिक्षिकाएं बदलती परिस्थितियों मेंपढ़ी–लिखी हैं।

निष्कर्ष

शोध निष्कर्ष के आधार पर ज्ञात हुआ है, कि सामाजिक–आर्थिक स्तरपर

1. 39.60 प्रतिशत सूचनादाता उच्च–मध्यम स्तर तथा
2. 42 प्रतिशत सूचनादाता मध्यम स्तर से सम्बन्धित है तथा
3. 30 प्रतिशत सूचनादाता निम्न स्तर से सम्बन्धित है।
4. आर्थिक स्थिति के आधार पर तथ्यों का वितरण यह स्पष्ट करता है कि उच्च–मध्यम वर्ग की
5. 23.60 प्रतिशत शिक्षिकाएं सामान्य परिस्थितियों में पढ़ी–लिखी जबकि
6. 10 प्रतिशत शिक्षिकाएं सुदृढ . परिस्थितियों से सम्बन्धित रही तथा
7. 6.00 प्रतिशत शिक्षिकाएं बदलती परिस्थितियों में पढ़ी–लिखी तथा मध्यम–मध्यम स्तर की
8. 24.40 प्रतिशत शिक्षिकाएं सामान्य परिस्थितियो ं से सम्बन्धित रही तथा
9. 2.40 प्रतिशत शिक्षिकाएं कठिनाइयों में पढ़ी–लिखी जबकि
10. 8.0 प्रतिशत शिक्षिकाएं बदलती परिस्थितियों में पढ़ी– लिखी। इसी प्रकार निम्न–मध्यम वर्ग की

References:

[1] कल्याणा प्रतिभा (2012), समाज में महिलाओं का स्थान, प्रतियोगिता दपर्ण जून 2012

[2] एलन टी. एंड ए., थॉमस, 1992, "दलित गरीबी औरविकास", ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली 81।

[3] अम्बेडकर, बी. आर., 1946, शूद्र कौन थे? कैसे वे चौथे वर्णमें आए इंडो–आर्यन सोसाइटी, लोकप्रिय प्रकाशन, बॉम्बे 29।

[4] बसु, ए, "भारत में शिक्षा और जाति व्यवस्था की वृद्धि,ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली 1970, 181।

[5] Discourse and practice in the women's diary cooperative movement: the case of the WDCS, Barf-Samiti, in Rajasthan, India. Paper 8 IN International Workshop on Beyond the Difference: Respositioning Gender and Development in Asian and the Pacific Context (2007: Tokyo) /ed. by Keichi Kumagai...et.al- Tokyo: Frontiers of Gender Studies, 2007

[6] Dalit women: the conflict and the dilemma. p.458-466 IN Women's studies in India: a reader /ed. by Mary E. John.- New Delhi: Penguin, 2008. xvi, 657p

[7] Naari aandolan. Paper 11 IN Workshop on State Policy on Women: Critical Issues and Future Directions (2001: Bhopal) (Hindi) Organised by Mahila Chetna Manch, March 7-8, 2001

ISSN: 2349 - 4891

IJRRAS

International
Journal of Recent Research and Applied Studies
(Multidisciplinary Open Access Refereed e-Journal)

[8] Nilam Hasmukh GajjarWomen at Cross-Roads: A Study of Shagun and Ishita in Manju Kapur's The Custody2007New Delhi

[9] ट्रेसी बार्टन, 'फेमिनिस्ट लीडरशिप' बिल्डिंग नर्चरिंग एकेडमिक कम्यूनीटीज़ (नारीवादी नेतृत्व; स्नेहपूर्ण अकादमिक समुदायों का निर्माण) एडवांसिंग वीमेन्स लीडरशिप, ऑनलाइन जर्नल, खंड 21, फॉल 2006

[10] आर ए राजाराम व भवर मुकामसिंह (2011), राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी 2011, 21वी ं सदी की महिलाए ं

[11] दिशा व दशा, भोपाल मध्यप ्रदेश, प ेज न ं. 119

[12] मिश्रा (डॉ.) आर क े (2011), राष्ट्रीय शोध स ंगोष्ठी 2011, भोपाल मध्यप्र द ेश

[13] सि ंह स ुधा (माच र् 2013), स्त्री अस्मिता और अ ंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, योजना पत्रिका मार्च 2013,

[14] योजना भवन नई दिल्ली, प ेज न ं. 12

[15] प ंत कविता (माच र् 2013), महिलाओं और बच्चों क े कल्याण की घोषणाएं, योजना पत्रिका माच र् 2013,

[16] योजना भवन नई दिल्ली, प ेज न ं. 15

[17] श्रीवास्तव (डॉ.) मीनाक्षी (2012), कामकाजी महिलाए ं वास्तविक स्थिति, हरि प्र काशन दिल्ली,

[18] शुक्ला (डॉ.) मंज ु (2011),महिला साक्षरता एव ं सशक्तिकरण, भारत प ्रकाशन लखनउ, प ेज न ं. 8

[19] सक्सेना व ंदना (2013), महिलाओं का स ंसार और अधिकार, मनीषा प्रकाशन दिल्ली, प ेज न ं. 179—180